

**पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय का नेमी आदेश सं. 08/17-बी(प.क्षे.) दिनांक 30-12-2025**

अपर महासर्वेक्षक, पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय का कार्यालय वर्ष 2026 के दौरान निम्नलिखित राजपत्रित अवकाशों पर बन्द रहेगा:-

वर्ष 2026 के दौरान केन्द्रीय सरकार के राजस्थान स्थित प्रशासनिक कार्यालयों में रखी जाने वाली अनिवार्य छुट्टियों की सूची				
क्र.सं.	राजपत्रित अवकाश	तारीख	शक संवत की तारीख	सप्ताह का दिन
<b>शक संवत 1947</b>				
1.	मकर सक्रांति	14 जनवरी	पौष 24	बुधवार
2.	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी	माघ 06	सोमवार
3.	होली (धुलंडी)	04 मार्च	फाल्गुन 23	बुधवार
4.	ईद उल फितर	21 मार्च	फाल्गुन 30	शनिवार
<b>शक संवत 1948</b>				
5.	महावीर जयंती	31 मार्च	चैत्र 10	मंगलवार
6.	गुड फ्राइडे	03 अप्रैल	चैत्र 13	शुक्रवार
7.	बुध पूर्णिमा	01 मई	वैशाख 11	शुक्रवार
8.	ईद उल जुहा (बकरीद)	27 मई	ज्येष्ठ 06	बुधवार
9.	मुहर्रम	26 जून	आषाढ़ 05	शुक्रवार
10.	स्वतन्त्रता दिवस	15 अगस्त	श्रावण 24	शनिवार
11.	मिलाद-उन-नबी अथवा ईद-ए-मिलाद (पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस)	26 अगस्त	भाद्र 04	बुधवार
12.	जन्माष्टमी (वैष्णव)	04 सितम्बर	भाद्र 13	शुक्रवार
13.	महात्मा गाँधी जन्म दिवस	02 अक्टूबर	अश्विन 10	शुक्रवार
14.	दशहरा (विजय दशमी)	20 अक्टूबर	अश्विन 28	मंगलवार
15.	दिवाली (दीपावली)	08 नवम्बर	कार्तिक 17	रविवार
16.	गुरु नानक जन्म दिवस	24 नवम्बर	अग्रहण 03	मंगलवार
17.	क्रिसमस दिवस	25 दिसम्बर	पौष 04	शुक्रवार

2. उपरोक्त राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को पेज नम्बर 2 पर लिखी गई वैकल्पिक छुट्टियों की सूची में से कोई दो छुट्टियाँ लेने की अनुमति भी होगी।

वर्ष 2026 के दौरान केन्द्रीय सरकार के राजस्थान स्थित प्रशासनिक कार्यालयों में  
रखी जाने वाली वैकल्पिक छुट्टियों की सूची


क्र.सं.	अवकाश	तारीख	शक संवत की तारीख	सप्ताह का दिन
<b>शक संवत 1947</b>				
1.	नव वर्ष दिवस	01 जनवरी	पौष 11	गुरुवार
2.	हजरत अली का जन्म दिवस	03 जनवरी	पौष 13	शनिवार
3.	माघ बिहू/पोंगल	14 जनवरी	पौष 24	बुधवार
4.	बसंत पंचमी / श्री पंचमी	23 जनवरी	माघ 03	शुक्रवार
5.	गुरु रविदास जन्म दिवस	01 फरवरी	माघ 12	रविवार
6.	स्वामी दयानन्द सरस्वती जयंती	12 फरवरी	माघ 23	गुरुवार
7.	महा शिवरात्रि	15 फरवरी	माघ 26	रविवार
8.	शिवाजी जयंती	19 फरवरी	माघ 30	गुरुवार
9.	होलिका दहन	03 मार्च	फाल्गुन 12	मंगलवार
10.	ढोलयात्रा	03 मार्च	फाल्गुन 12	मंगलवार
11.	चैत्र शुक्लादी / गुड़ी पड़वा / उगादी / चेती चौद	19 मार्च	फाल्गुन 28	गुरुवार
12.	जमात उल विदा	20 मार्च	फाल्गुन 29	शुक्रवार
<b>शक संवत 1948</b>				
13.	राम नवमी	26 मार्च	चैत्र 05	गुरुवार
14.	ईस्टर रविवार	05 अप्रैल	चैत्र 15	रविवार
15.	वैसाखी / विशु/ मेसादी (तमिल नव वर्ष दिवस)	14 अप्रैल	चैत्र 24	मंगलवार
16.	वैशाखादी (बंगाल)/बिहाग बिहू (असम)	15 अप्रैल	चैत्र 25	बुधवार
17.	गुरु रबीन्द्रनाथ का जन्म दिवस	09 मई	वैसाख 19	शनिवार
18.	रथ यात्रा	16 जुलाई	आषाढ़ 25	गुरुवार
19.	पारसी नववर्ष दिवस / नौरोज	15 अगस्त	श्रावण 24	शनिवार
20.	ओणम एवं थिरू ओणम दिवस	26 अगस्त	भाद्र 04	बुधवार
21.	रक्षाबंधन	28 अगस्त	भाद्र 06	शुक्रवार
22.	गणेश चतुर्थी / विनायक चतुर्थी	14 सितम्बर	भाद्र 23	सोमवार
23.	1 <sup>st</sup> नवरात्र	11 अक्टूबर	आश्विन 20	रविवार
24.	दशहरा (सप्तमी)	18 अक्टूबर	आश्विन 26	रविवार
25.	दशहरा (महा अष्टमी)	19 अक्टूबर	आश्विन 27	सोमवार
26.	दशहरा (महानवमी)	20 अक्टूबर	आश्विन 28	मंगलवार
27.	महर्षि वाल्मीकी जी का जन्म दिवस	26 अक्टूबर	कार्तिक 04	सोमवार
28.	करक चतुर्थी (करवा चौथ)	29 अक्टूबर	कार्तिक 07	गुरुवार
29.	नरक चतुर्दशी	08 नवम्बर	कार्तिक 17	रविवार
30.	गोवर्धन पूजा	09 नवम्बर	कार्तिक 18	सोमवार

**वर्ष 2026 के दौरान केन्द्रीय सरकार के राजस्थान स्थित प्रशासनिक कार्यालयों में रखी जाने वाली वैकल्पिक छुट्टियों की सूची**

क्र.सं.	अवकाश	तारीख	शक संवत की तारीख	सप्ताह का दिन
शक संवत 1948				
31.	भाई दूज	11 नवम्बर	कार्तिक 20	बुधवार
32.	प्रतिहार षष्ठी अथवा सूर्य षष्ठी (छठ पूजा)	15 नवम्बर	कार्तिक 24	रविवार
33.	गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस	24 नवम्बर	अग्रहायण 03	मंगलवार
34.	हजरत अली का जन्म दिवस	23 दिसम्बर	पौष 02	बुधवार
35.	क्रिसमस के पूर्व संध्या	24 दिसम्बर	पौष 03	गुरुवार

3. वैकल्पिक अवकाश के उपभोग के लिए अग्रिम आवेदन दिया जाना आवश्यक है और सामान्यतः उस वरिष्ठ अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा जो आकस्मिक अवकाश स्वीकृत के लिए प्राधिकृत है। इसका रिकार्ड रखा जायेगा तथा आकस्मिक अवकाश पंजिका में ताल स्याही से वैकल्पिक अवकाश दर्ज किया जायेगा।

4. सभी छुट्टियों के दिनों में भी अति-तात्काल/आवश्यक व तात्कालिक कार्यों के निपटान के लिए आवश्यक व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक कार्यालय में एक छुट्टी रोस्टर रखा जायेगा और जो भी कर्मचारी छुट्टी के दिन इयूटी के बदले आगामी किसी भी दिन प्रतिपूरक छुट्टी ले सकेगा। इस प्रकार की प्रतिपूरक छुट्टी इयूटी करने के लिए एक माह के अन्दर लेनी होगी। प्रतिपूरक छुट्टियों को जमा करने के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी। प्रतिपूरक छुट्टी अगले वर्ष में आगे नहीं ले जाने दी जायेगी।

  
(एस. बी. शर्मा)

अपर महासर्वेक्षक,  
पश्चिमी क्षेत्र, कार्यालय।

वितरण:-

- (1) भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून ..... दो प्रतियाँ।
- (2) I/C Website management (IT Cell) SGO <admn.soi@gov.in>
- (3) अपर महासर्वेक्षक, दक्षिणी क्षेत्र, बंगलूरु/उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली/पूर्वी क्षेत्र, कोलकता/ जी.आर.एफ. तथा भू-स्थानिक आंकड़ा विनिमय डिवीजन, देहरादून / राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद/ विशिष्ट क्षेत्र, देहरादून।
- (4) निदेशक, राजस्थान भू-स्थानिक निदेशालय, जयपुर।
- (5) निदेशक, गुजरात, दमन एवं द्वीव, भू-स्थानिक निदेशालय, गाँधीनगर।
- (6) निदेशक, मध्य प्रदेश भू-स्थानिक निदेशालय, जयपुर।
- (7) निदेशक, महाराष्ट्र एवं गोवा भू-स्थानिक निदेशालय, जयपुर।
- (8) सभी स्टेट भू-स्थानिक निदेशालयों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग।
- (9) निदेशक, NGDR & UGI DIRECTORATE, देहरादून / निदेशक, जी.आई.एस.एण्ड आर.एस., हैदराबाद / निदेशक, जी.एण्ड आर.बी., देहरादून, भारतीय सर्वेक्षण विभाग।
- (10) सभी विंग कार्यालयों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग।
- (11) अति महानिदेशक, एम.ओ.-जी.एस.जी.एस., आर्मी हैडक्वार्टर्स, नई दिल्ली।
- (12) केन्द्रीय वेतन एवं लेखाधिकारी, देहरादून/ क्षेत्रीय वेतन एवं लेखाधिकारी, जयपुर।
- (13) स्थापना एवं लेखाधिकारी/तकनीकी अधिकारी/सहायक भण्डार अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक/ गोपनीय अनुभाग (प.क्षे. कार्यालय) / गार्ड फोल्डर।
- (14) फाईल संख्या 37-जी-9/नेमी आदेश फोल्डर।